the Rubber Board for a term of three years, subject to the other provisions of the said Act."

The motion was adopted.

(iii) CARDAMOM BOARD

Shri Shaft Qureshi; Sir, on behalf of Shri Dinesh Singh, I beg to move the following:

"That in pursuance of sub-section (3)(c) of Section 4 of the Cardamom Act, 1965, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Cardamom Board for a term of three years, subject to the other provisions of the said Act."

Mr. Deputy-Speaker: The question im.

"That in pursuance of sub-section (3)(c) of Section 4 of the Cardamom Act, 1965, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Cardamom Board for a term of three years, subject to the other provisions of the said Act."

The motion was adopted.

14.47 hrs.

RULES COMMITTEE

SECOND REPORT

Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): Sir, I beg to move the following:

"That this House agrees with the Second Report of the Rules Committee laid on the Table on the 22nd June, 1957."

Some hon. Members rose-

Mr. Desuty-Sneaker: Motion moved:

Report

"That this House agrees with the Second Report of the Rules Committee laid on the Table on the 22nd June, 1967."

श्री हृश्य चम्द कक्ष्याय (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय. सवालों के नोटिस की धर्वधि के सम्बन्ध में जो परिवर्तन किया गया है. उस से हमारे प्रधिकारों पर कठारावात होता है। अब तक बहु स्वति रही है कि सवाल करने के लिए हमें दस दिन की मियाद मिलती है. लेकिन बाब हमें 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा भीर फिर हमें जवाब मिलेगा । धगर एक महीने का सेवन होगा, तो हमारे लिए एक समस्या पैदा हो जायेगी । कई विशेष घटनायें भीर बातें ऐसी हीती है. जिन के लिए इतना सम्बा नोटिस नहीं दिया जा सकता है। इस परिवर्तन से हमारा प्रधि-कार छिन आयेगाः

Mr. Deputy-Speaker: The Committee has taken all these things into consideration. If you have any grievance against it, you can refer the matter to the Rules Committee for revision. That is the only solution,

भी प्रकाशबीर शास्त्री (हापुड़) : ऐसी बात नहीं है। बाप इस रिपोर्ट पर सदन की मुहर लगाने जा रहे हैं। उसके बाद यह व्यवस्था धन्तिम हो जायेगी भीर तब कोई भपील करता रहे, उस पर निर्णय हो, न हो । धव तक स्थिति यह है कि इस दिन की सुचना देने पर सामान्य प्रश्न को स्वीकार कर लिया वाता है। लेकिन धगर 21 दिन की धविष निश्चित कर दी जाती है, तो जब सदन का श्रीव्यवेशन समाप्त होने लगेगा, उस समय कठिनाई उत्पन्न होगी । उस समय यह 21 दिन की धवधि तो उपसब्ध नहीं होगी भीर धनर हम अस्य-सूचना प्रस्न भेजते हैं, तो उस के सम्बन्ध में नियम यह है कि मिनिस्टर चाहे. तो उस को स्वीकारकरे बीरचाहे. तो उस को स्वीकार न करे। धव तक का हमारा